



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8749

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 566 वर्ष 2026

कृष्णपाल @ बब्लूआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : सिद्धार्थ निरंजन, सूरज यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ निरंजन, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 162 वर्ष 2024 (सत्र विचारण संख्या 181 वर्ष 2024), धारा 103(1)/3(5) बीएनएस, थाना ऐंट, जिला जालौन, ओरई में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त शिवम पटेल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 2.1.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 47003 वर्ष 2024 में पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। तत्पश्चात न्यायालय में सूचनादाता/अभियोजन साक्षी-1 तथा प्रत्यक्षदर्शी/अभियोजन साक्षी-2 के बयान परीक्षित किए जा चुके हैं।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सूचनादाता/अभियोजन साक्षी-1 ने विचारण के दौरान अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्यक्षदर्शी/अभियोजन साक्षी-2 अपने पूर्व के बयान से पूरी तरह मुकर गया है और उसे पक्षद्रोही घोषित करने के बाद लोक अभियोजक द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण किया गया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक के दोषसिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 16.8.2024 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया, किंतु वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और अभियोजन साक्षी-1 ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी-2 विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गया है।
8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियोजन साक्षी-1 ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन साक्षी-2 विचारण के दौरान पक्षद्रोही हो गया है, तथा इस तथ्य के साथ कि सह-अभियुक्त शिवम पटेल को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आवेदक कृष्णपाल @ बब्लू, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।



10.उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11.यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

विकास वर्मा